**भारत सरकार**
**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय**

**लोक सभा**

अतारांकित प्रश्न सं. 2188 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026/9 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है

**भू-राजनीतिक व्यवधान और अंतर्देशीय आर्थिक गलियारे**

**†2188. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल :**

**क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार ने देश में अंतर्देशीय आर्थिक गलियारों और आपूर्ति शृंखलाओं पर वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों में भू-राजनीतिक व्यवधानों के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे व्यवधानों के प्रति संवेदनशीलता के रूप में कौन-से क्षेत्रक और क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं;
(ग) क्या राजस्थान के बाड़मेर जिले सहित औद्योगिक, संसाधन-उत्पादक और सीमावर्ती जिलों पर ऐसे व्यवधानों के प्रभाव के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है; और
(घ) यदि हां, तो ऐसे व्यवधानों के प्रति संभारतंत्र (लॉजिस्टिक्स) और आपूर्ति-शृंखला नेटवर्क की प्रत्यास्थता को सुदृढ़ करने के लिए किए गए या प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री**
**(श्री सर्बानंद सोणोवाल)**

**(क) से (घ):** सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों को शामिल कर संस्थागत तंत्रों के माध्यम से वैश्विक समुद्री व्यापार और लॉजिस्टिक्स संबंधी भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के प्रभाव की निरंतर निगरानी करती है। वाणिज्य विभाग के अधीन गठित एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी), जिसमें विदेश मंत्रालय (एमईए), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू), नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी), उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकोर) शामिल हैं, उभरती हुई स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा करता है, मैरीटइम व्यापार एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं पर उसके

प्रभावों का आकलन करता है तथा उभरती चुनौतियों के समाधान हेतु समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करता है।

यह समीक्षा तंत्र अंतरराष्ट्रीय नौवहन मार्गों, निर्यात-आयात कार्गो की आवाजाही, पत्तन परिचालन, लॉजिस्टिक्स, मालभाड़ा एवं बीमा लागत तथा मैरीटइम व्यापार पर निर्भर विभिन्न क्षेत्रों की आपूर्ति श्रृंखलाओं की निरंतरता से संबंधित मुद्दों को कवर करती है। इन आकलनों के आधार पर, सरकार ने कार्गो की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने तथा आपूर्ति श्रृंखला की सुदृढ़ता बढ़ाने के लिए अनेक समन्वित उपाय किए हैं, जिनमें महापत्तनों पर परिचालन संबंधी सहायता, ग्राउंड रेंट एवं डेमरेज शुल्क में छूट, रेल संपर्कता के माध्यम से कंटेनरों की निकासी को सुगम बनाना, व्यापार सुविधा उपाय तथा संबंधित मंत्रालयों, एजेंसियों एवं अन्य हितधारकों के समन्वय से लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने की पहलें शामिल हैं। इन उपायों का विवरण **अनुबंध** के रूप में संलग्न है।

**अनुबंध**

**कार्गो की निर्बाध आवाजाही सुकर बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय:**

i. वाणिज्य विभाग के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी) तथा अग्रिम प्राधिकार (एडवांस ऑथराइजेशन) योजनाओं के अंतर्गत 1 मार्च, 2026 और 31 मई, 2026 के बीच समाप्त होने वाली निर्यात दायित्व अवधि को 31 अगस्त, 2026 तक बढ़ा दिया, जिसमें 1,017 ईपीसीजी तथा 7,400 अग्रिम प्राधिकारों; आरओडीटीईपी की दरों को पुनः बहाल करने; विशेष अभियान से 21,370 ईपीसीजी एवं अग्रिम प्राधिकारों के निर्यात दायित्वों के निर्वहन को कवर किया, जिससे लंबित बैंक गारंटियों में अवरुद्ध निधियों अनलॉक किया गया। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने निर्यातकों के लिए हेल्पलाइन संचालित की; सरकार ने एसईजेड/ एफटीडब्ल्यूजेड में रत्न एवं आभूषणों का आयात तथा वाल्टिंग (vaulting) अनुमत किया।

ii. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने लौटाए गए तथा अन्यत्र मोड़े गए माल के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किए तथा 30 जून, 2026 तक शुल्क में छूट एवं कार्गो प्रबंधन में लचीलापन प्रदान किया; भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) तथा वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने निर्यात ऋण की 270 दिनों से बढ़ी 450 दिन को 5 जून, 2026 तक जारी रखा तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की तरलता के लिए एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0 प्रारंभ की।

iii. महापत्तनों द्वारा ग्राउंड रेंट एवं डेमरेज शुल्क में 100 प्रतिशत तथा रीफर शुल्क में 80 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई; कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकोर) तथा भारतीय रेल ने पत्तनों पर फँसे कंटेनरों पर विभिन्न प्रभारों में छूट प्रदान की तथा पत्तनों पर लगभग 10,000 कंटेनरों के बैकलॉग को शीघ्र हटाने के लिए समर्पित माल गलियारे पर डबल-स्टैक कंटेनर रेल सेवाएं प्रारंभ कीं।

iv. मंत्रिमंडल ने घरेलू मैरीटाइम बीमा पूल के लिए लगभग 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर की संप्रभु गारंटी अनुमोदित की, जिससे निर्यात के लिए मालभाड़ा एवं बीमा लागत में कमी आई।

v. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने आपातकालीन प्रकोष्ठ सक्रिय किया तथा एलपीजी नियंत्रण आदेश एवं प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियमन आदेश जारी किए।

vi. राजस्व विभाग ने 40 महत्त्वपूर्ण पेट्रो-रासायनिक उत्पादों पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर 15 जुलाई, 2026 तक शून्य कर दिया।

*****